अन्तिम डिक्री

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट – ग्राम पंचायत सोमावत)

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

श्री नानालाल पुत्र श्री पुनाजी मीणा वगैराह **बनाम** श्री मेगा पुत्र श्री भैराजी मीणा वगैराह
निवासी सोमावत (बिलख), तहसील ऋषभदेव निवासी सोमावत (बिलख), तहसील ऋषभदेव

दावा बाबत :– स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जेयाबी
मुकदमा नम्बर :– 28 / 2014 रा.वा.
निर्णय दिनांक :– 02.06.2017

वादीगण की ओर से श्री नानालाल एवं बद्धीलाल की उपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.06.2017 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर– आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –मौजा सोमावत में स्थित वादी सं. 1 श्री नानालाल पिता पुना मीणा की खातेदारी हक की आराजी नंबर 821 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 822 रकबा 1.20 हेक्टेयर एवं 824 रकबा 0.50 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.81 हेक्टेयर तथा आराजी नंबर 820 रकबा 0.63 हेक्टेयर भूमि एवं वादी सं. 2 श्री बद्धीलाल पिता पुना मीणा की खातेदारी हक की आराजी नंबर 823 रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा साथ ही यदि दौराने वाद कार्यवाही वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई अतिक्रमण काश्त या निर्माण द्वारा कर लिया हो तो उसे स्वयं के खर्चे से हटाकर कब्जा पूर्ववत वादीगण को सिपुर्द करवाया जावे। तदनुसार पालना की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

02/06/17

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	4.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल	8.00		
जोड	14.00	जोड	2.00